न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)
पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 1/2019

अपीलांट :–
जितेन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह
उम्र 48 वर्ष जाति राजपुत
निवासी ग्राम सोवनिया
तहसील पीपाड़ शहर जिला
जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्टस :–
1. भंवरसिंह पुत्र गिरधारी सिंह
जाति राजपुत निवासी ग्राम
सोवनिया तहसील पीपाड़
शहर जिला जोधपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार पीपाड़ शहर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामातरणकरण सं. 154 दिनांक (अंकित नही) जिसके अनुसार ग्राम सोवनिया के खसरा नम्बर 181 रकबा 2 बीघा भूमि का तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा गोकलदास पुत्र जगन्नाथ जाति साद के नाम नामांतरण स्वीकृत करने की आज्ञा बताते हुए ग्राम पंचायत सोवनिया द्वारा स्वीकृत किया गया

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह अपीलांट की ओर से
श्री अब्दुल सलीम खान रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक : 23.03.2021

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– ग्राम सोवनिया के खसरा न. 181 रकबा 2 बीघा भूमि राजकीय भूमि के रूप मे आई हुई थी। इस भूमि की खातेदारी पुर्व मे राज्य सरकार मे निहित थी। यह भूमि आबादी भूमि से बिल्कुल सटी हुई है। इस भूमि का गलत रूप से नियमितीकरण बताकर इस भूमि को गोकलदास पुत्र जगन्नाथ के नाम से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर ली गई थी। गोकलदास की मृत्यु के बाद इस भूमि का नामांतरणकरण माडी बेवा गोकलदास के नाम से स्वीकृत कर दिया गया था। माडी ने उक्त खातेदारी की भूमि को आगे अन्य व्यक्ति गंगासिंह पुत्र जगसिंह को बेचान कर दी थी। इस बेचान के आधार पर भूमि का नामांतरणकरण गंगासिंह पुत्र जगसिंह के नाम से दर्ज कर लिया गया था तत्पश्चात इस भूमि का नामांतरण रेस्पोडेण्ट सं. 1 के नाम से अंकित की हुई है। इस कारण से उसे इस अपील मे पक्षकार बनाया जा रहा है। गोकुलदास एवं उसकी धर्मपत्नी माडी का देहान्त हो चुका है। अपीलाधीन नामांतरणकरण के जरिये गोकलदास को ख.नं. 770 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा ख.नं. 542 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि का भी नियमितकरण किया गया था। स्व. गोकलदास को जिस नामांतरणकरण मे श्रीमान तहसीलदार बिलाडा की आज्ञा के अनुसार नियमन करना बताया गया है जिसमे नामांतरणकरण मे ऐसे कोई आज्ञा का प्रकरण अथवा उसकी तारीख दर्ज नही की गई है। ऐसी आज्ञा बताकर राजस्व अधिकारीयो द्वारा अपीलाधीन नामांतरणकरण भरा गया था परंतु इस नामांतरणकरण पर सरपंच ग्राम पंचायत सोवनिया की स्वीकृति बताई परंतु इसमे भी कोई तारीख अंकित कि हुई नही है। तमाम कार्यवाही फर्जी तौर पर कि गई है एवम इस फर्जी कार्यवाही के आधार पर बेशकिमती जमीन को फर्जी तौर पर रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने अपने नाम करवा ली है इस तमाम कार्यवाही मे रेस्पोडेण्ट सं. 1 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा है। उक्त नामांतरणकरण पर स्वीकृत किये जाने की कोई तारीख अंकित नही

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

की हुई है। आज्ञा पर तहसीलदार बिलाडा के हस्ताक्षर नही है। संबधित राजस्व निरिक्षक के हस्ताक्षर बताये गये है परंतु उस पर भी राजस्व निरिक्षक की सील नही है और न ही तारीख अंकित की हुई है। पटवारी के हस्ताक्षर बताये गये है परंतु उसमे भी कोई सील नही लगी हुई है और न ही तारीख अंकित की हुई है। नामांतरणकरण को देखने मात्र से स्पष्ट होता है कि उक्त नामांतरणकरण फर्जी तौर पर सरकारी भूमि को हडपने के लिए स्वीकृत किया गया है जो किसी भी रूप मे कायम किये जाने योग्य नही है एवमं निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार स्वीकृत किया गया नामांतरणकरण जिसकी अपील माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत की जा रही है उक्त नामांतरणकरण पूर्ण रूप से गलत गैर–कानूनी एवम प्रावधानो के विपरीत स्वीकृत किया गया है जिसे निरस्त किया जाना न्यायाचित होगा। अपीलाण्ट ग्राम सोवनिया का स्थायी निवासी है एवमं जागरूक नागरिक है। रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने इस भूमि पर फर्जी तौर पर अपना कब्जा जमाये हुए है एवं इस भूमि को आगे विक्रय करक करोडो रूपये कमाना चाहता है। यह भूमि आबादी मे सटी हुई है। ग्राम सोवनिया मे आबादी की भूमि की कमी हो रही है। इन तमाम परिस्थितियो मे अपीलाण्ट ने राजस्व रेकार्ड बाबत तमाम जानकारी की जब उसके सामने यह तमाम तथ्य आये है जिसके लिए अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतरणकरण सं. 154 जो ग्राम सोवनिया के ख.नं. 181,542 एवं 770 की भूमि के लिए स्वीकृत किया गया है के लिए सरपंच ग्राम पंचायत सोवनिया द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस नामांतरण को निरस्त फरमाया जावे। भूमि पुनः राजस्व रेकार्ड मे राज्य सरकार के नाम से दर्ज की जावे एवं भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जावे। अन्य आदेश जो माननीय न्यायालय वाजिब समझे पारित फरमावे।

हमने अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पाडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 की ओर से वकील अब्दुल सलीम खान ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । अप्रार्थी 2 तहसीलदार पीपाड़ शहर फोरमल पक्षकार है। रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया है कि जो इस प्रकार से है कि नामान्तरण सं. 154 का दर्शसुदा होने से अपील म्याद बाहर है इसलिए अपील खारिज किये जाने योग्य है । अपीलकर्ता जितेन्द्रसिंह का प्रश्नगत नामांतरण व खसरा नम्बर 181 पर कब्जा काश्त व पड़ोस अथवा किसी प्रकार संबंध नही होने के कारण उक्त खसरे की नामान्तरण की अपील करने का अधिकारी जितेन्द्र सिंह को नही होने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है । प्रश्नगत खसरे की भूमि नामांतरण सं. 154 के जरीये गोकलदास के नाम दर्ज हुई तत्पश्चात गोकलदास देहान्त हो जाने पर उक्त भूमि श्रीमती माडी व गंगासिंह के नाम खरीद से दर्ज हुई तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट्स सं. 01 के नाम दर्ज हुई उक्त सभी नामान्तरण भी सक्षम अधिकारी द्वारा विचारण के पश्चात् स्वीकृत किये गये है जिस पर भी अपीलान्ट ने कोई एतराज दर्ज करवाया न ही अपीलान्ट को एतराज व अपील करने का अधिकार प्राप्त है । इसलिए अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है । गोकलदास की मृत्यु के पश्चात् श्रीमती माडी व गंगासिंह के नाम नामातंरण आवश्यक भरा गया था लेकिन उससे अपीलकर्ता का कोई संबंध नही है अपीलकर्ता अनावश्यक रूप से इस अपील को प्रस्तुत किया है अपीलकर्ता ने वास्तविक तथ्यो को छुपाते रेस्पोडेन्ट सं. 01 के नाम आज खातेदारीसुदा भूमि होने के बावजूद उसका वर्णन इस पैरे में नही किया है इससे साबित होता है कि अपीलकर्ता बदनियती पूर्ण तथ्य कथित कर रहा है इस कारण इस पद के तथ्य भी रेस्पोडेन्ट सं. 01 अस्वीकार है । अपीलान्ट ने बिना किसी आधार के रेस्पोडेन्ट पर झुठे आक्षेप लगाकर इस पद को कथित किया है जो कतई स्वीकार किये जाने योग्य नही है । हस्ताक्षर होने आवश्यक है न की सील ऐसी स्थिति में स्वीकार किया हुआ नामांतरण को गलत कहना कतई

उपखण्ड अधिकारी
शहर (जोधपुर)

स्वीकार नही किया जा सकता इसलिए अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट सं. 01 अस्वीकार करता है अपीलांट की अपील कतई स्वीकार किये जाने योग्य नही है अपीलान्ट ने निहायत ही झुठे व गैर कानूनी रूप से तथ्य कथित कर इस अपील को प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है । लिहाजा आपत्ती एवं जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील मय हर्जे खर्चे से खारिज फरमावें ।

प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसकी मियाद में होने के सम्बंध में विवेचना एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णित किया जाना आवश्यक है। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट को अन्दर मियाद माना जाता है।

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामांतरण संख्या 154 दिनांक (अंकित नही) जो ग्राम पंचायत सोवनिया द्वारा स्वीकृत किया गया का अवलोकन किया गया जिससे नामान्तरकरण 154 जो कि राजस्थान सरकार से श्री गोकुलदास पुत्र जग्गनाथ कौम साद निवासी सोवनिया के हक में भरा गया था, नामान्तरकरण में तहसीलदार पीपाड़ शहर के आदेश का हवाला नही है एवं न ही सक्षम अधिकारी/न्यायालय द्वारा स्वीकृत है । समग्र विश्लेषण के आधार पर विवेचित नामान्तरकरण पूर्ण रूपेण, गलत, गैरकानूनी एवं विहीत प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किया जाता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है ग्राम पंचायत सोवनिया द्वारा स्वीकृत हस्तगत नामांतरण संख्या 154 निरस्त किया जाता है तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि नियमन संबंधी पत्रावली को हस्तगत कर विधिवत नामान्तरकरण सं. दंर्ज कर सक्षम अधिकारी से विधीपूर्वक स्वीकृत करवाया जावें । विवेचित दस्तावेती सबूत न मिलने पर हस्तगत खसरा नम्बरान् 181 (जो कि नामान्तरकरण सं. 184 में दर्ज है), पुनः राज हक में हस्तान्तरण का नामान्तरकरण दायर करें ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 23.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)